Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Anganbari Revision Case No.-21/2024]

Gunja Kumari.....Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Others.....Opposite Parties.

Sl. No.	Date of order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.6.2025	**आदेश** यह आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद गुंजा कुमारी उर्फ मुन्नी कुमारी, पति-मृत्युंजय कुमार, साकिन-तितुआहा, वार्ड नं0-12, पोस्ट-लतौना, प्रखंड-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या-31/2021 में दिनांक 19.02.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पारित आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा रिट याचिका संख्या-14615/2024 में दिनांक 26.09.2024 को Set aside किये जाने संबंधी पारित आदेश के परिपेक्ष्य में सुनवाई हेतु लाया गया है। दिनांक- 30.05.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदिका का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी संख्या-5 (रीता कुमारी) की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। Petitioner गुंजा कुमारी का कहना है कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द सं0-48 हेतु उनका चयन मेधा सूची में अधिक प्राप्तांक रहने के आलोक में किया गया है। विपक्षी की ओर से उठाए गए बिन्दुओं के संबंध में Petitioner का कहना है कि वस्तुतः मुन्नी कुमारी तथा गुंजा कुमारी दोनों उनका ही नाम है। तथा यह कि जानकारी के अभाव में उनके द्वारा दो अलग-अलग नाम से विभिन्न कागजात यथा आधार कार्ड, बैंक खाता, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड आदि बनवाया गया है। उनका कहना है कि विपक्षी रीता कुमारी का दावा गलत है। विपक्षी संख्या-5(रीता कुमारी) का मुख्य रूप से कहना है कि वस्तुतः Petitioner का वास्तविक मूल नाम (मायका का) मुन्नी कुमारी है। तथा यह कि शादी के बाद उनके द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाभ लेने तथा प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका के पद पर चयन हेतु गुंजा कुमारी के नाम से विभिन्न प्रमाण पत्र एवं कागजात बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया है। उनका यह भी कहना है कि उनके द्वारा निम्न न्यायालय में सुनवाई में मुन्नी कुमारी/गुंजा कुमारी के विभिन्न विरोधाभासी दस्तावेजों से संबंधित तथ्य एवं कागजात दाखिल किया गया था तथा यह कि सुनवाई में Petitioner गुंजा कुमारी की ओर से उक्त कागजातों को अप्रमाणित (Disprove) करने के संबंध में कोई Admissible evidence उपस्थापित नहीं किया गया, जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-31/2021 में पारित आदेश दिनांक-19.9.2022 के अवलोकन से स्पष्ट होता है। उनका यह भी कहना है कि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर गुंजा कुमारी के पिता का नाम गजेन्द्र यादव है जबकि राशन कार्ड के अनुसार मुन्नी कुमारी के पिता का नाम शिवचन्द्र यादव है। निर्वाचन मतदाता सूची में भी गुंजा कुमारी एवं मुन्नी कुमारी की प्रविष्टि अलग-अलग है तथा EPIC भी अलग-अलग बना है। राशन कार्ड मुन्नी देवी पिता-शिवचन्द्र यादव के नाम से बना है। मनरेगा जॉब कार्ड मुन्नी देवी के नाम से बना है। बैंक खाता भी दोनों नामों से संचालित है। उनका यह भी कहना है कि Petitioner के आधार कार्ड सं0-9306 3766 9558 दोनों नाम-मुन्नी देवी तथा गुंजा कुमारी के नाम से बना है। मुन्नी देवी के नाम वाले आधार कार्ड में जन्म तिथि 07.5.1989 है जबकि गुंजा कुमारी के नाम से बने आधार कार्ड में जन्म तिथि 22.6.1999 है। तथा यह कि निर्वाचन मतदाता	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

13.06.2025

सूची के क्रमांक 354 पर मुन्नी देवी का उम्र-32 वर्ष एवं क्रमांक-360 पर गुंजा कुमारी का उम्र-23 वर्ष दर्ज है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों तथा LCR के अवलोकनोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि Petitioner द्वारा दो नाम-मुन्नी कुमारी एवं गुंजा कुमारी के नाम से समय-समय पर विभिन्न दास्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि बनवाया गया है। निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के प्रसंगिक आदेश में उपरोक्त तथ्यों को सविस्तार अंकित किया गया है। Petitioner गुंजा कुमारी द्वारा उपरोक्त तथ्यों को Negate करने हेतु कोई Admissible evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। Infact उपरोक्त बिन्दुओं पर उनका Self Admission है। साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित होता है कि जाति प्रमाण पत्र के अनुसार गुंजा कुमारी के पिता का नाम गजेन्द्र यादव है तथा राशन कार्ड के अनुसार मुन्नी कुमारी के पिता का नाम शिवचन्द्र यादव है। मनरेगा जॉब कार्ड मुन्नी देवी के नाम से बना है। बैंक खाता दोनों नामों से संचालित है। Petitioner का आधार कार्ड सं0-9306 3766 9558 दोनों नाम-मुन्नी देवी तथा गुंजा कुमारी के नाम से बना है। मुन्नी देवी के नाम वाले आधार कार्ड में जन्म तिथि 07.5.1989 है जबकि गुंजा कुमारी के नाम से बने आधार कार्ड में जन्म तिथि 22.6.1999 है। इसके अतिरिक्त Petitioner का उक्त दोनों नाम से दो अलग-अलग EPIC है। ऐसा मानने का पर्याप्त आधार है कि Petitioner की ओर से आंगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु दो नाम-मुन्नी कुमारी एवं गुंजा कुमारी के नाम से समय-समय पर विभिन्न दास्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि बनवाया गया है। तथा यह कि अधिक समय तक आंगनबाड़ी सेविका के पद का लाभ लेने हेतु जन्म तिथि लगभग 10 वर्ष घटाकर 22.6.1999 जन्म तिथि का विभिन्न कागजात बनवाया गया है, जो गैरकानूनी कार्य है। गैरकानूनी रूप से तैयार किये गये कागजातों के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका पद पर चयन सहित अन्य मामलों में इनके पक्ष में लिया गया कोई भी निर्णय विधिमान्य नहीं हो सकता है। तथा ऐसा कृत्य कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के स्तर से इस मामले से संबंधित संगत तथ्यों एवं साक्ष्यों की समीक्षा करते हुए अपना विधिमान्य Findings अंकित करते हुए आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या-31/2021 में दिनांक 19.02.2022 को आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है।

अतः उपरोक्त के आधार पर इस रिविजन वाद को खारिज किया जाता है। साथ ही वर्णित कदाचार के लिए तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका कल्याणी कुमारी के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई का निदेश जिला पदाधिकारी, सुपौल को दिया जाता है।

इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजे। LCR निम्न न्यायालय को वापस भेजें।

Raje K.
13/6/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

Raje K.
13/6/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा